न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

16 / 2022

श्री रामदेव बैरवा पुत्र गोपाल बैरवा निवासी ग्राम अरडुरया तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 22.06.2022**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 25.03.2022 प्रेषित/प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 2022/296 दिनाक 7.04.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (स्थापना शाखा) कलेक्ट्रट टोंक को प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1.प्रार्थी रामदेव बैरवा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2021 पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा क्या कार्यवाही की गई, की प्रमाणित प्रतिलिपि।

2.राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश पत्र कमांक प.11(25)शिका/राम/अजमेर–संभाग/टोंक/2021/2259 दिनांक 14.12.2021 को जारी आदेशों की पालना में श्रीमान कलेक्टर महोदय टोंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई एव कार्यवाही देरी करने का कारण किन नियमों के तहत की गई की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र किमांक 624 दिनांक 25–5–2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक द्वारा पत्र कमांकः [illegible] दिनांक 30[illegible]22 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के स[illegible] में [illegible]री अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रट टोंक द्वारा उनके पत्र कमांकः 1993 दिन[illegible]3–05–2022 से प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट [illegible] सूचना संलग्न कर बाद प्रमाणित कर आवेदक को नि[illegible] हेतु लिखा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:26:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर टोंक

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (रिकार्ड शाखा) कलेक्ट्रट टोंक को पत्र कमांक 610 दिनांक 10–6–2022 से जवाब हेतु लिखे जाने पर अति. जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र कमांकः एफ ( ) / रिकार्ड/222 दिनांक 17–06–2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी चाही जा रही सूचना को प्राप्त करने के लिये कार्यालय हाजा में उपस्थित नही होने से जावक अनुभाग द्वारा पत्र कमांकः 80 दिनांक 08–06–2022 से प्रार्थी के मूल पते पर उक्त सूचना प्रेषित कि जा चूकि है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

चि-मयी

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:26:38 IST
Reason: SelfAttested